



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274475
CG-DL-E-14072026-274475

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3677]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3677]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2026

का.आ. 3839(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3733(E) तारीख 13/08/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के मालकानगिरि जिले में "NH-326 (मलकानगिरि-मोटू सड़क) के Ch. 379/000 Km पर गारिया नदी (पंगम पुल) के ऊपर, Km 439/410 पर पोद्वेरू नदी के ऊपर, और Km 444/237, Km 457/075 तथा Km 468/150 पर HL पुलों के रूप में 5 HL पुलों के पुनर्निर्माण" निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07.09.2025 "प्रमेय" एवं "समाज" में प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले में NH326 के पर 5 एच.एल पुलों यानि 379 /000 किमी मे गरिया नदी पर पंगम पुल, 439/410 किमी मे पोटरु नदी पर और एच.एल पुलों 444 /237 किमी 457 /075 किमी और 468 /150 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा			जिले का नाम: मालकानगिरि		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मालकानगिरि					
गांव का नाम: बदिली					
1	1017	निजी	पैडी-2	0.032	चतुर दाश
2	4165	निजी	पैडी-2	0.004	नलिन कांटा मंडल
गांव का नाम: पुलिमेटला					
3	2168/2879	निजी	पैडी-2	0.039	गंगा कवासी
4	482	निजी	पैडी-2	0.004	मोहित सुराना
तालुक का नाम: कालीमेला					
गांव का नाम: पेंडिकोंडा					
5	234/1267	निजी	पैडी-2	0.016	मनोरंजन दाश
गांव का नाम: पेडावाड़ा					
6	973	निजी	जंगल	0.013	दामा पोडियामी
Total				0.108	

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2026

S.O. 3839(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O Number **3733(E) Dated:13/08/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for "Reconstruction of 5 Nos. H.L Bridges namely over Garia River (Pangam Bridge) at Ch. 379/00Km, over Potteru River at Km 439/410 and HL Bridges at Km. 444/237, Km .457/075 and Km 468/150 of NH-326 (Malkangiri-Motu Road)" in the State of Odisha.

And whereas the substance of the said notification has been published in "PRAMEYA" & " THE SAMAJ" both dated: 07.09.2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act.

And whereas the Competent Authority has not received any objection under Section 3-C. And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose.

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure/trees, falling within the NH-326 in the stretch of land " Reconstruction of 5 Nos. H.L Bridges namely over Garia River (Pangam Bridge) at Ch. 379/00Km, over Potteru River at Km 439/410 and HL Bridges at Km. 444/237, Km .457/075 and Km 468/150 of NH-326 (Malkangiri-Motu Road)" in the State of Odisha

State: ODISHA			District: MALKANGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Malkangiri					
Village: Badili					
1	1017	Private	PADDY-2	0.032	CHATUR DASH
2	4165	Private	PADDY-2	0.004	NALIN KANTA MANDAL
Village: Pulimetla					
3	2168/2879	Private	PADDY-2	0.039	GANGA KAWASI
4	482	Private	PADDY-2	0.004	MOHIT SURANA
Taluk: Kalimela					
Village: Pendikonda					
5	234/1267	Private	PADDY-2	0.016	MANORANJAN

					DASH
Village: Pedawada					
6	973	Private	JUNGLE	0.013	DAMA PODIAMI
Total				0.108	

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director